I/271214/2023

(9) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर **Last Come First Go** के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी।

(10) नर्सिंग शिक्षकगण का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने, आवश्यकता होने पर तथा कार्य एवं आचरण संतोषजन रहने, सम्बन्धित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न होने, जो कि इनका कार्यकाल बढाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नही है, के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल 01 वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा।

(11) नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।

3– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 का शासनादेश संख्या–156557/71–1005(001)/20/2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगें।

संलग्नकः–यथोक्त।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेप्ट प्रोफेसर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3– प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़/बदायूं/अम्बेडकरनगर/जालौन/बांदा/सहारनपुर।
4– प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, आजमगढ़/बदायूं/अम्बेडकरनगर/जालौन/बांदा/सहारनपुर।
5– वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़/बदायूं/ अम्बेडकरनगर/जालौन/बांदा/सहारनपुर।
6– कोषाधिकारी, आजमगढ़/बदायूं/ अम्बेडकरनगर/जालौन/बांदा/सहारनपुर।
7– संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह (एस0पी0 सिंह)
Date: 08-02-2023 17:45:17
अनु सचिव
Reason: Approved

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–1/2023/525 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी,2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किये गये कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण कराते हुये उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1– प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़/बदायूं/अम्बेडकरनगर/जालौन/बॉदा/सहारनपुर।
2– सम्बन्धित कर्मचारीगण द्वारा ई–मेल।

(श्रुति सिंह)
महानिदेशक

I/271214/2023

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– / 71-1005(001)/20/2021 Part(1)
लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़/बदायूं/अम्बेडकरनगर/जालौन/बांदा/सहारनपुर में नर्सिंग शिक्षकगण को संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–1/2023/73, दिनॉक 06 जनवरी, 2023 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार (एसोसिएट प्रोफेसर के 06 पद तथा असिस्टेप्ट प्रोफेसर के 14 पद) कुल 20 अभ्यर्थियों को नर्सिंग शिक्षक के पद पर संविदा के आधार पर योगदान देने की तिथि से 02 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए नियुक्त/तैनात किये जाने की स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध सहित एतद्द्वारा प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त नर्सिंग शिक्षकगण:–

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकगण यथा एसोसिएट प्रोफेसर को रू0 80,000/– एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर को रू0 70,000/– मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

(2) नर्सिंग शिक्षकगण की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

(3) नर्सिंग शिक्षकगण को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगे।

(4) महिला नर्सिंग शिक्षकगण को मैटरनिटी लीव, मैटेरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(5) यदि कोई नर्सिंग शिक्षक बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवायें अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(6) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(7) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(8) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण सेवा में विनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओ के हकदार नही होंगे।

I/271214/2023

(9) संविदा नर्सिंग शिक्षकगण की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(10) नर्सिंग शिक्षकगण का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने, आवश्यकता होने पर तथा कार्य एवं आचरण संतोषजन रहने, सम्बन्धित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न होने, जो कि इनका कार्यकाल बढाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नही है, के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्यकाल 01 वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा।

(11) नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं कियें जायेंगे।

3– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 का शासनादेश संख्या–156557 / 71–1005(001) / 20 / 2021, दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगें।

संलग्नकः–यथोक्त।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेप्ट प्रोफेसर को अपने स्तर से कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3– प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़ / बदायूं / अम्बेडकरनगर / जालौन / बांदा / सहारनपुर।
4– प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, आजमगढ़ / बदायूं / अम्बेडकरनगर / जालौन / बांदा / सहारनपुर।
5– वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ / बदायूं / अम्बेडकरनगर / जालौन / बांदा / सहारनपुर।
6– कोषाधिकारी, आजमगढ़ / बदायूं / अम्बेडकरनगर / जालौन / बांदा / सहारनपुर।
7– संबंधित चिकित्सा शिक्षकगण।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
(एस0पी0 सिंह)
Date: 06-02-2023 17:45:17
Reason: Approved
अनु सचिव।

I/271214/2023

शासनादेश संख्या– / 71-1005(001)/20/2021 Part(1) दिनांक 07 फरवरी, 2023 का संलग्नकः–

कमांक	पदनाम	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थल
1	2	3	4
(अ)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1- ANKITA MANRAL	Azamgarh
		2- Kalpana Thakur	Badaun
		3- MONICA NANCY LAL	Ambedkar Nagar
		4- NEHA SINGH	Jalaun
		5- HEMANT SHARMA	Banda
		6- SRIRAM.K	Saharanpur
		7- RUPALI CHAUDHARY	Badaun
		8- PATANWAL SWATI OMPAL	Jalaun
		9- KUMKUM YADAV	Azamgarh
		10- HEMANT KUMAR	Ambedkar Nagar
		11- Nishat parveen	Banda
		12- PRATIMA KANT	Azamgarh
		13- ELISHA MAHATO	Saharanpur
		14- RAJESH KUMAR JATAV	Badaun
(ब)	एसोसिएट प्रोफेसर	1 INFANT RANI AUGUSTIN	Badaun
		2- VIJAY KUMAR JYOTISHI	Azamgarh
		3- SUDHA SWAMY	Jalaun
		4- K ROJARANI	Ambedkar Nagar
		5- MURALI MOHANAM	Saharanpur
		6-BHARAT	Banda

(एस0पी0सिंह)
अनु सचिव।